परमिट संख्याः 191 /मानचित्र/जि०पं० / 2017–18

कार्यालय जिला पंचायत,
बाराबंकी ।
दिनांक– 06-05-2017

स्टैलियन इन्फ्रा डेवलपर्स प्रा०लि०,
डायेरक्टर,
1–श्री विशाल पुत्र सुजान,
निवासी म०नं० 41, मोहल्ला विशम्भरपुर गनियारी
जिला देवरिया एवं
2–श्री सुहेल पुत्र शमशुद्दीन,
निवासी 329, अबुबकरनगर, जिला देवरिया

आपके प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र दिनांक 28–04–2017 के साथ संलग्न मानचित्र में प्रदर्शित भूमि के गाटा संख्या–1168, 1314, 1329, 1332, 1278, 1194, 1197, 1246, 1157, 1192, 1200, 1225, 1349, 1293, 1339, 1340, 1224, 1309, 1348, 1220, 1278, 1299, 1316, 1317, 1318, 1281, 1152, 1153, 1154, 1156 व 1249 स्थित ग्राम छेदानगर, परगना प्रतापगंज, तहसील नवाबगंज, जनपद बाराबंकी पर प्लाटिंग ले–आउट प्लान हेतु कवर्ड एरिया 13663.90 वर्ग मीटर तक के प्रस्तावित मानचित्र की स्वीकृति सम्यक विचारोपरान्त माननीय अध्यक्ष जी द्वारा दिनांक 06–05–2017 को इस शर्त के साथ प्रदान की गयी है कि आप द्वारा उपरोक्त भूमि को 03 माह के अन्दर अकृषिक घोषित कराकर आदेश की सत्य प्रतिलिपि जिला पंचायत–बाराबंकी को प्रस्तुत की जाएगी, यदि ऐसा करने में असमर्थ रहे तो मानचित्र स्वीकृति के तीन माह बाद मानचित्र स्वतः अस्वीकृत हो जाएगा ।

माननीय अध्यक्ष जी की स्वीकृति दिनांक 06–05–2017 के अनुक्रम में उपर्युक्त मानचित्र जिला पंचायत, बाराबंकी की भवन निर्माण उपविधि दिनांक 21 मई 2011 के उपबन्धों के अधीन तथा निम्नलिखित उपबन्धों/प्रतिबन्ध सहित स्वीकार किया जाता है ।

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग से प्रस्तावित लेआउट प्लान की दूरी मार्ग के मध्य से 67.10 मीटर और सम्पर्क मार्ग से अथवा गलियारे से 10 मीटर होना आवश्यक है ।

आवासीय/व्यवसायिक प्लाटों में–

(2) आवासीय/व्यवसायिक भवन में किसी शौचालय को गली की ओर खुला नही रखा जायेगा ।

(3) शौचालय का निर्माण फ्लस टाइप का होना चाहिए जिसके लिये सेप्टिक टैंक व शोक पिट की व्यवस्था अनिवार्य होगी ।

(4) भवन की कुर्सी भवन के निकट गली, सड़क आदि से या खुले स्थान की सतह से कम से कम 30 से०मी० रखी जाय । दी गयी आज्ञा केवल निर्माण के लिये होगी और इसका कथित भूमि की सम्पत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(5) ले–आउट प्लान कार्य की स्वीकृति हेतु निर्गत परमिट के दिनांक से 5 वर्ष के अन्दर निर्माण कार्य पूरा करना होगा यदि किसी कारण से निर्माण उक्त निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं हुआ तो प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अध्यक्ष द्वारा पुनः विचार कर निर्माण कार्य की अवधि बढ़ाई जा सकती है, किन्तु यह अवधि किसी भी दशा में पुनः स्वीकृति के दिनांक से दो वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(6) उपरोक्त स्वीकृत मानचित्र में अथवा निर्माण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एवं परिवर्धन बिना जिला पंचायत की स्वीकृति के नहीं किया जायेगा ।

(7) किसी भी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने पर जिला पंचायत इसका उत्तरादायी नहीं होगा तथा न्यायिक क्षेत्राधिकार जिला एवं सत्र न्यायालय बाराबंकी होगा ।

(8) स्वीकृत मानचित्र तथा परमिट किसी भी दशा मे स्वामित्व अभिलेख के रूप में मान्य नहीं होगा तथा न ही इस रूप में प्रयुक्त किया जायेगा ।

(9) प्रस्तावित भूखण्ड पर स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही प्लाटिंग कार्य कराया जायेगा । भविष्य में अतिरिक्त कार्य कराये जाने हेतु पुनः मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा ।

(10) स्वीकृत मानचित्र में प्रदर्शित एरिया सार्वजनिक उपयोग की भूमि जैसे चकमार्ग, नाली, तालाब, मरघट, चारागाह व नवीन परती भूमि, बाराबंकी की महायोजना से आच्छादित भूमि, लो०नि०वि०, सिंचाई विभाग, विद्युत विभाग, अग्निशमन विभाग, वन विभाग, रेलवे विभाग व अन्य आवश्यक विभाग की भूमि होने पर स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त हो जायेगा ।

06/05/2017

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत,बाराबंकी